न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 290/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/477

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
अमराराम पुत्र कोजाराम		1.रामलाल पुत्र मोमताराम
जाति भील		2.मालाराम पुत्र मोमताराम
निवासी उमरलाई रोड़, पारलू		जाति भील निवासी मेवानगर
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		3.भवन एवं पथ निर्माण विभाग
		पी.डब्ल्यू.डी. वृत बालोतरा
		4.राजस्थान सरकार जरिए
		तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री चेलाराम कुमावत व श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01

3.विप्रार्थी संख्या 2 से 4 एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 04/3/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1235/341 क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1238/341 क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1236/341 क्षेत्रफल 1.7159 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1235/341 क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1238/341

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1236/341 क्षेत्रफल 1.7159 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रार्थी के आवेदन को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थी के आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1235/341 क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1238/341 क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1236/341 क्षेत्रफल 1.7159 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1235/341 क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1238/341 क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1236/341 क्षेत्रफल 1.7159 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौरानें बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी द्वारा कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही सीमाओं को लेकर वाद–विवाद किया गया है। प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया है। विवादित आराजी के मूल खसरा संख्या 341 वक्त सेटलमेंट विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हकपूर्वाधिकारी मोमता पुत्र खेताराम जाति भीले के कब्जे अनुसार पर्चा जारी हुआ था तथा मोमता के बाद होने के बाद उनके वारिसान क नाम नामान्तकरण पारित हुआ। मूल खसरा संख्या 341 के सहखातेदारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर तहसील कार्यालय पचपदरा में बंटवाड़ा करवाया गया तथा बंटवाड़ा के अनुसार विप्रार्थी संख्या 01 का मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। मोमता के वारिसान चोलाराम व शंकरलाल उर्फ ओठिया व जीवाराम ने अपने हिस्से व कब्जे की भूमि पेमाराम को बेचान कर दी तथा पेमाराम ने उक्त वादग्रस्त भूमि आगे प्रार्थी को बेचान कर दी गई। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की दखलदान्जी नही की गई है। प्रार्थी नेखमबंदी की आड़ मे विप्रार्थी की भूमि को हड़प करना चाहते है। विप्रार्थी को विवादित आराजी की सीमाज्ञान कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी की भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही एकपक्षीय तैयार की गई है। अंत में निवदेन किया कि प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1235/341 क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1238/341 क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1236/341 क्षेत्रफल 1.7159 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वास धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 27.7.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1235/341 क्षेत्रफल 1.7644

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हैक्टेयर, खसरा संख्या 1238/341 क्षेत्रफल 1.7644 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1236/341 क्षेत्रफल 1.7159 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर की जावें। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 04.03.2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी 04/03/2025
बालोतरा